

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/2020/2274

भोपाल, दिनांक 2 /12/ 2020


—:: आदेश ::—

संचालनालय के आदेश क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-5/2020/236 भोपाल, दिनांक 12.02.2020 के सरल क्रमांक 09 द्वारा डॉ. राजकुमार अहिरवार चिकित्सा अधिकारी प्राथ. स्वास्थ्य केन्द्र माचलपुर, जिला-राजगढ़ का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमलाह जिला-सीहोर किया गया स्थानांतरण निरस्त किया गया था।

उक्त आदेश के विरुद्ध डॉ. राजकुमार अहिरवार द्वारा मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्र.4347/2020 दर्ज की गई जिसमें मान. न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निर्णय दिया गया – In view of the above, it is ordered that the representation preferred by the petitioner dated 14.02.2020 will be considered by the respondent no.1 within a period of 30 days from the date of receipt of certified copy of the order passed today. Meanwhile, petitioner may be permitted to work at Community Health Center Amlah, District Sehore. With the aforesaid direction, writ petition is disposed of.

मान. न्यायालय निर्णय के संदर्भ में डॉ. अहिरवार द्वारा प्रेषित अभ्यावेदन दिनांक 14.02.2020 प्राप्त हुआ अभ्यावेदन में संबंधित द्वारा लेख किया गया है कि संचालनालय के आदेश दिनांक 23.11.2019 के आदेश के पालन में प्राथ.स्वास्थ्य केन्द्र अमलाह जिला सीहोर में दिनांक 16.01.2020 को कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, परन्तु एक माह के भितर ही संचालनालय आदेश दिनांक 12.02.2020 द्वारा पुनः पूर्व पदस्थापना स्थल प्राथ. स्वास्थ्य केन्द्र माचलपुर जिला राजगढ़ पदस्थ किया गया है। प्रार्थी के परिवार में एक छोटी बेटी, पत्नी एवं 70वर्षीय माता जी है तथा पिताजी का देहांत हो गया है। माताजी बीमार है तथा चलने-फिरने में असमर्थ है, इसलिए प्रार्थी के आवेदन पर विचार कर आदेश दिनांक 12.02.2020 निरस्त किया जावे, अभ्यावेदन में लेख किया गया है।

अतः डॉ. राजकुमार अहिरवार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन विचारोपरांत मान्य करते हुए संचालनालय के आदेश क्र./01 जी/विज्ञप्त/सेल-5/2020/236 भोपाल, दिनांक 12.02.2020 के सरल क्रमांक 09 द्वारा डॉ. राजकुमार अहिरवार चिकित्सा अधिकारी प्राथ. स्वास्थ्य केन्द्र माचलपुर, जिला-राजगढ़ का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमलाह जिला-सीहोर किया गया स्थानांतरण निरस्त किये जाने संबंधित आदेश निरस्त किया जाता है।



(सपना एम.लोवंशी)

अपर संचालक (विज्ञप्त)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

म0प्र0

निरंतर...2/

क्र. 01 जी/विज्ञप्त/सेल-05/2020/ 2275

भोपाल, दिनांक 2/12/2020

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म0प्र0।
02. अपर प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल, म0प्र0।
03. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्य प्रदेश, म0प्र।
04. अपर संचालक (प्रशासन)/विज्ञप्त स्थानीय कार्यालय।
05. अपर संचालक (लीगल) की ओर मान. न्यायालय याचिका क.4347/2020 के संदर्भ में।
05. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग म0प्र0।
06. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला- राजगढ़/सीहोर म0प्र0।
07. जिला कोषालय अधिकारी जिला- राजगढ़/सीहोर म0प्र0।
08. संबंधित चिकित्सक की ओर पालनार्थ द्वारा- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला- सीहोर
09. प्रभारी एम0आई0एस0, स्थानीय कार्यालय, भोपाल म0प्र0।

अपर संचालक (विज्ञप्त)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0